

संख्या- 289 / 111(2)/08-47(प्र.आ.)/07

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

प्रिंट/प्रिंट नमूना/प्रिंट नमूना
www.mpa.gov.in
मुद्रांकन-3
मो. 011-26101010

श्रीमती विजय
24/03/08

लोक निर्माण अनुभाग 2

देहरादून, दिनांक 20 फरवरी, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र गिकियारीण के अन्तर्गत देघाट-जौरासी ग्रेटर मार्ग के नव निर्माण (लम्बाई 15 किमी0 + 20 मी0 रपान के पुल निर्माण सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, कु0क्ष0, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्र सं0-509/505 याता-कु0/07 दिनांक 24-01-08 द्वारा उपलब्ध कराये उपरोक्त कार्य का आगमन लागत रुपये 579.69 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 579.69 लाख (रुपये पाँच करोड़ उन्चासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु रु0 0.10 लाख (रु0 दस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर जितना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ग है, स्वीकृत नार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के गहन नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय मालन करना सुनिश्चित करें।
8. कार्य करने से पूर्व रपल का गती भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थित आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद



उप सचिव

रूप प्रिंट/प्रिंट

सहायक अभियन्ता
प्रादेशिक खण्ड ला. वि. वि.
राजीव

22B

-2-

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट, गैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2000 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य करता समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टैण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर शासकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशारी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किसी अन्य वक्त से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत 800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-24 गृहत निर्माण कार्य के नामे डाटा जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- यू.ओ.-90/XXVII(2)/2006 दिनांक 26 फरवरी, 2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/111-2/00, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रभाग), ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, गाजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुर्णौयू गण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, कुर्णौयू क्षेत्र, लोनि वि, अल्मोडा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लोनि वि, अल्मोडा।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग 1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड फ़ाइल।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय सड़क ला. नि. वि.
राजीव

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)